

672161977

RFX

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2017-2018/ 10454

दिनांक- 24.08. 2017

सेवा में,

1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500463
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

04 SEP 2017

No.

O/o Pri. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
06-SEP-17

485618

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2016-18/

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक)

विषय- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन। पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को 01 जुलाई 2016 से महंगाई राहत 02% तथा 01 जनवरी 2017 से महंगाई राहत 04% की स्वीकृति।

- A सन्दर्भ - (1) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या- 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017 VII CPC
- B (2) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-136/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017 VII CPC - corrigendum
- C (3) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-95/XXVII(07)/02/2016 दिनांक- 17/05/2017 DR 4/ 1.1.17
- D (4) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-297/XXVII(07)/02/2016 दिनांक- 30/12/2016 DR 2/ 1.7.16

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संग्रहन कर प्रेषित की जा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय


वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या-297/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No. 297/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 30 Dec., 2016

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil /Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2/2016-ई.11(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुये पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners w.e.f. 01-07-2016 @ 2% for revised pension superseding the earlier rates as is sanctioned vide Office Memorandum No. 1/2/2016-E.11(B) Dated 04 November, 2016 of Ministry of Finance, Government of India.

2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(अमित-सिंह नेगी)

सचिव।

(Amit Singh Negi)

Secretary.